जिला निर्वाचन कार्यालय
फोन न० 0612–2203725
E-mail-dyeo_patna@yahoo.co.in

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला निर्वाचन शाखा)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
फोन न० 0612–2219097(आ०)
0612–2219545(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail- dm-patna.bih@nic.in

फोटोयुक्त मतदाता सूची एवम् मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण कार्यो/व्यवस्थाओं के मूल्य/किराया के दर निर्धारण हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठानों से द्विलिफाफा प्रणाली में निविदा आमंत्रित की जाती है।

पुनःनिविदा सूचना

पटना जिला के सभी 14 (चौदह) विधानसभा क्षेत्रों के लिए ERONET में फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण/संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण कराये जाने, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत नये विस्तृत दिशा–निर्देश के आलोक में रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र (Colour EPIC) का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं योग्य इच्छुक फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति में मुहरबन्द निविदा दिनांक **04/11/2019 (सोमवार)** के अपराह्न 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्बंध में विहित प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस को जिला निर्वाचन कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता हैं। सभी कार्यो के लिए निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में हीं दर देना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य हो जाएगा। निविदा जमा करने की तिथि से एक दिन पूर्व तक ही कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय से निविदा से संबंधित विहित प्रपत्र ₹ 1000/– (एक हजार रूपये) शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा निर्धारित तिथि/समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय, पटना में दिया जा सकता है एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

(क) निविदा की सामान्य शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग होना आवश्यक है। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I & Annexure –II) में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
2. बगैर कोई कारण बताए निविदा रद्द करने, संशोधित करने एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. सभी कार्य ERONET पर Online के माध्यम से किया जाएगा।
4. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यों के लिए एक ही एजेंसी का चयन किया जाएगा। बिहार के अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company है, तो उसे Company Act 1956/2013 अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। वैसे निविदादाता जो Proprietorship or Partnership Firm के रूप में निबंधित है, निविदा के लिए मान्य है, जबकि निविदादाता का Consortium होना मान्य नहीं होगा।
6. चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के द्वारा निर्धारित शर्त्तों/निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

7. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात निविदा जमा करते वक्त संलग्न रहना चाहिए। बाद में कागजात जमा करने के संबंध में किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाता फर्म को बिहार Shop & Establishment Act एवं लघु उद्योग के अंतर्गत कम से कम पाँच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का निबंधन प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न के साथ विगत वर्ष (2018–19) में कम से कम पच्चीस लाख रूपये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में जमा करने का साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है, जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र /किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद का प्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता फर्म को ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN No.) के साथ विगत तीन वित्तीय वर्षों (2015–16, 2016–17, 2017–18) का आयकर रिटर्न, Audit and Balance Sheet के साथ प्रति वर्ष पाँच करोड़ का Turn Over एवं अंतिम वित्तीय वर्ष तक एक करोड़ का Net worth का Audited Report संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता फर्म को EPFO (Employees Provident Fund Organisation) एवं ESIC (Employees State Insurance Corporation) के अन्तर्गत तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही इस कार्य हेतु कम से कम 20 सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम योग्यता अनुभव के साथ देना होगा। इस हेतु विगत एक वर्ष का EPFO एवं ESIC के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का Pay roll से संबंधित चालान का प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पटना के पक्ष में ₹ 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
8. निविदादाता फर्म को बिहार राज्य अंतर्गत ERONET/ERMS के माध्यम से तीन वित्तीय वर्षों (यथा – वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19) में प्रतिवर्ष कम से कम 14 विधान सभा क्षेत्रों का फोटोयुक्त मतदाता सूची (PER) एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) निर्माण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु विधान सभा क्षेत्रों से अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता फर्म को कम से कम एक लाख PVC Colour EPIC Card बनाने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु जिला द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। Sub Contract के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में मान्य नहीं होगा।
10. निविदादाता फर्म के पास फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र निर्माण हेतु आधारभूत संरचना यथा– कम से कम 50 कम्प्यूटर/लैपटॉप, 2 जेनरेटर, आवश्यकतानुसार यू0पी0एस0, उच्च कोटि एवं हाई स्पीड का 15 प्रिन्टर्स, 5 लेमिनेशन मशीन, 10 PVC Colour Card Printer आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण–पत्र देना होगा तथा उनकी संख्या सहित पूर्ण विवरणी भी देना होगा। उपलब्ध दिखाए गए संसाधन की समीक्षा/भौतिक सत्यापन के उपरांत ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।

11. आवंटित कार्य के Sub Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under Taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में Sub Contracting पाये जाने पर कार्यादेश वापस लेते हुए जमा जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. निविदादाता फर्म को पिछले पाँच लगातार वित्तीय वर्षो में से किसी एक वर्ष में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के ईकाई द्वारा निर्गत कम से कम एक करोड़ रुपये का कार्यादेश की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।

13. फर्म द्वारा प्रयुक्त System में अनुज्ञप्ति (License) Operating System एवं Anti Virus Software का प्रयोग करना होगा। इस संबंध में Undertaking देना होगा।

14. निविदादाता को जिला मुख्यालय अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में कार्य करना होगा। कार्य हेतु स्थल जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु आवश्यक उपस्कर, विद्युत, आवश्यकतानुसार इंटरनेट आदि की व्यवस्था पर व्यय का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा।

15. फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण के लिए फर्म को निर्वाचन विभाग पटना द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप कार्य करने संबंधी Under Taking देना होगा।

16. कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से इस कार्यालय के पदाधिकारी की देख–रेख में हटाना होगा।

17. भारत निर्वाचन आयोग के ERONET अंतर्गत उपलब्ध कराये गये Software को छोड़कर सेवा प्रदाता को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य Software के माध्यम से रंगीन ईपिक निर्माण का अनुमति नहीं दिया जायेगा।

18. फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण के क्रम में लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ A-4 साईज के 75GSM पेपर का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।

19. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पी.वी.सी. प्रिन्टेड रंगीन ईपिक कार्ड के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियां निम्नवत है :–

    a) Card Type : All new cards will be printed on PVC Sheet with colour photograph.
    b) Card Size : 8.6 cm vertical and 5.4 cm horizontal.
    c) Thickness : 0.6 mm to 0.8 mm.
    d) Lamination : 60 microns overlay.

20. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचक डाटाबेस में संधारित डिजिटल छायाचित्रों (JPEG Format) के माध्यम से निर्मित किए जायेंगे। निर्धारित डिजिटल फॉरमेट में रंगीन छायाचित्र भी जिला निर्वाचन कार्यालय को एक डिलिवरेबल (one of the deliverable) होगा। छायाचित्र का आकार एवं विशिष्टियाँ निम्नवत होगीं :–

    a) Size of Photographs : 3.2 cm vertical and 2.4 cm horizontal
    b) Resolution : 320 pixels x 240 pixels
    c) High quality photographs in colour and in portrait mode which shall show a close up of the applicant's head and the top of the shoulders. The face shall take 75% of the vertical dimension of the picture.

21. निविदादाता को सफलतापूर्वक फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण हेतु एक वृहत कार्य योजना बनाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र में उपयुक्त कागज एवं PVC Card का नमूना भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22. वित्तीय या तकनीकी निविदा खुलने के उपरांत निविदा यदि अपूर्ण/वगैर हस्ताक्षर/वगैर मुहर के पाया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23. एकरारनामा के समय पर Bank Gaurantee के रूप में अग्रिम राशि (अनुबंध मूल्य का 2%) लिया जाएगा।

24. सेवा प्रदाता को सौंपे गये सभी कार्यों के संबंध में उनके द्वारा पूर्ण गोपनीयता रखा जायेगा, उन्हें उपलब्ध कराये गये सभी सूचनाओं एवं उस पर आधारित ऑकड़ों को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र सेवा प्रदाता को समर्पित करना होगा।

25. निविदादाता फर्म का किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा Blacklisted नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य है।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें :—

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जाएगा।
2. वितीय निविदा में फोटोयुक्त मतदाता सूची/मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण आदि से संबंधित दर सभी करों सहित निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।
3. सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों का कटौती किया जायेगा।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन बिलम्ब के लिए 1000.00 (एक हजार रुपये) का कटौती किया जायेगा तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

ह०/—

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—जिला पदाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक...3328........../ निर्वा०, पटना, दिनांक—15.10.19

प्रतिलिपि :— सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

15/10/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—जिला पदाधिकारी,पटना।

Annexure-I

जिला निर्वाचन कार्यालय
फोन न० 0612–2203725
E-mail-dyeo_patna@yahoo.co.in

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला निर्वाचन शाखा)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
फोन न० 0612–2219097(आ०)
0612–2219545(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail- dm-patna.bih@nic.in

तकनीकी निविदा का प्रपत्र

1.	निविदाकर्त्ता का नाम एवं पता	
2.	सम्पर्क सूत्र	
	क) दूरभाष संख्या	
	ख) फैक्स संख्या	
	ग) ई–मेल	
	घ) मोबाईल संख्या	
3.	आयकर (PAN/TAN) संख्या	
4.	Bihar Shop & Establishment Act अंतर्गत निबंधन एवं पाँच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र।	
5.	लघु औद्योगिक ईकाई (SSI Unit) के अंतर्गत पाँच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र (यदि लघु ईकाई होने का दावा किया गया हो)।	
6.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) का निबंधन संख्या एवं निबंधन प्रमाण पत्र।	
7.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) का अद्यतन रिर्टन के साथ विगत वर्ष 2018–19 में कम से कम पच्चीस लाख रूपये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में जमा करने का साक्ष्य।	
8.	विगत तीन वित्तीय वर्षो 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का ऑडिट बैलेंस शीट के साथ प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रूपये का टर्न ओवर एवं अंतिम वित्तीय वर्ष तक एक करोड़ रूपये का Net worth Audit Report.	

9.	विगत तीन वित्तीय वर्षों 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर रिर्टन की छायाप्रति।	
10.	EPFO & ESIC में तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना तथा इस हेतु विगत एक वर्ष का EPFO एवं ESIC के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का Pay roll से संबंधित चालान का प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
11.	ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 निबंधन प्रमाण पत्र।	
12.	आधारभूत संरचना एवं तकनीकी कर्मियों का विवरणी।	
13.	बिहार राज्य अन्तर्गत ERONET/ERMS के माध्यम से फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण कार्य का विगत तीन वर्षों (2016–17, 2017–18, 2018–19) में कम से कम 14 विधान सभा क्षेत्रों का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र।	
14.	बिहार राज्य अंतर्गत विगत वर्ष 2018–19 में एक लाख PVC Colour EPIC बनाने का अनुभव प्रमाण पत्र।	
15.	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह– जिला पदाधिकारी, पटना के पदनाम से दो लाख रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना अनिवार्य है।	
16.	आवश्यक शपथ–पत्र	

सम्पर्क सूत्र : ....

सम्पर्क सं0 : ....

निविदादाता का हस्ताक्षर
मुहर सहित

Annexure-II

जिला निर्वाचन कार्यालय
फोन न० 0612–2203725
E-mail-dyeo_patna@yahoo.co.in

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला निर्वाचन शाखा)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
फोन न० 0612–2219097(आ०)
0612–2219545(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail- dm-patna.bih@nic.in

वित्तीय निविदा का प्रपत्र

क्र० सं०	कार्य का प्रकार	दर (रुपये में)	
		अंकों में	शब्दों में
1	प्रपत्र–6/6क का डाटा इन्ट्री कर अपलोडिंग का दर (प्रति प्रपत्र)		
2	प्रपत्र–7 का डाटा इन्ट्री कर अपलोडिंग का दर (प्रति प्रपत्र)		
3	प्रपत्र–8/8क का डाटा इन्ट्री कर अपलोडिंग का दर (प्रति प्रपत्र)		
4	प्रपत्र–8 में प्राप्त छायाचित्र के अपलोडिंग का दर (प्रति प्रपत्र)		
5	ए4 साईज में नजरी नक्शा का स्कैनिंग कर अपलोडिंग का दर (प्रति नजरी नक्शा)		
6	मुख्य पृष्ठ के संशोधन का दर (प्रति मुख्य पृष्ठ)		
7	पी.डी.एफ. निर्माण का दर (प्रति पी.डी.एफ.)		
8	पी.डी.एफ. सी.डी. निर्माण का दर (प्रति सी.डी.)		
9	फोटोयुक्त मतदाता सूची का ए4 साईज पेपर पर एक तरफ श्याम एवं श्वेत मुद्रण का दर (प्रति पृष्ठ)		
10	फोटोयुक्त मतदाता सूची का ए4 साईज पेपर पर दोनो तरफ श्याम एवं श्वेत मुद्रण का दर (प्रति पृष्ठ)		
11	फोटोयुक्त मतदाता सूची का ए4 साईज पेपर पर एक तरफ रंगीन मुद्रण का दर (प्रति पृष्ठ)		
12	फोटोयुक्त मतदाता सूची का ए4 साईज पेपर पर दोनो तरफ रंगीन मुद्रण का दर (प्रति पृष्ठ)		
13	बुक बाइंडिंग का दर कवर सहित (प्रति बुक)		
14	स्पाईल बाइडिंग का दर कवर सहित (प्रति बुक)		
15	PVC Card पर Colour EPIC निर्माण का दर (प्रति ईपिक)		
16	मोबाईल संख्या ऑन लाईन इन्ट्री का दर (प्रति रिकार्ड)		
17	आधार संख्या ऑन लाईन इन्ट्री का दर (प्रति रिकार्ड)		
18	Braille EPIC निर्माण का दर (प्रति ईपिक)		
19	मल्टीकलर (आर्ट पेपर) वोटर गाईड मुद्रण – साईज 1/8 या ए4 साईज का आधा (प्रति बुक 8 पृष्ठ)		

सम्पर्क सूत्र : ....
सम्पर्क सं0 : ....

निविदादाता का हस्ताक्षर
मुहर सहित